

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
स्वास्थ्य भवन, उ०प्र० लखनऊ ।

पत्र सं० ०१-डी/आर०एन०टी०सी०पी०/एन०पी०/२०१८-१९/१६९८ दिनांक २५/०५/१८

विषय: पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तर पर वर्ष २०१८-१९ में कमिटेड करायी गयी धनराशि के सापेक्ष जनपदों को धनराशि उपयोग/व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।

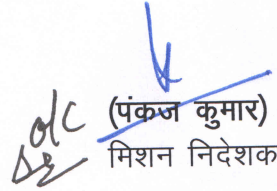
महोदय,

कृपया संयुक्त निदेशक, क्षय के पत्र सं०-एसटीसीएस/१५०/२०१०/२०१८-१९/५५८ दिनांक ११.०५.२०१८ एवं पत्र सं०-एसटीसीएस/१५०/२०१०/२०१८-१९/५५३ दिनांक ११.०५.२०१८ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में राज्य स्तर पर रक्षित करायी गयी धनराशि से क्रमशः ए०सी०एफ० गतिविधि के लिए आर०एन०टी०सी०पी० मद से रू० १००१.८५ लाख एवं मिशन प्लैक्सीपूल मद से धनराशि रू० ५५८.४३ लाख तथा सामान्य जनपद स्तरीय गतिविधियों हेतु रू० ७१५.५६ लाख इस प्रकार कुल रू० २२७७.८४ लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी जनपदवार फांट के अनुसार अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त क्रम में संज्ञान में लाना है कि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित धनराशि का उपयोग/व्यय संयुक्त निदेशक, क्षय द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट के अनुसार सम्बन्धित जनपदों में उपलब्ध अनकमिटेड अनस्पेंट धनराशि से किया जाना है। उक्त क्रम में जनपद स्तरीय गतिविधियों हेतु धनराशि का उपयोग/व्यय किये जाने के सम्बन्ध में जनपदों को विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,

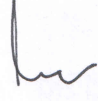

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं० ०१-डी/आर०एन०टी०सी०पी०/एन०पी०/२०१८-१९/१६९८-८ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
२. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ०प्र०।
३. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
४. संयुक्त निदेशक, क्षय, स्वास्थ्य भवन, उ०प्र०, लखनऊ।

5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
6. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०एच०एम०, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की गयी धनराशि के नियमानुसार उपयोग/व्यय करने हेतु सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि उक्त पत्र की प्रति सम्बन्धित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


Hdc (डा० आशु पाण्डेय)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम